

**भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।**

संख्या: /ई-निवि0सह0ई-नीला0/भू0खनि0ई0/टिहरी गढ़वाल/2018-19

दिनांक: 16 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु विज्ञापन संख्या 201/ई-निविदा सह ई-नीलामी/ विज्ञापन/भू0खनि0ई0/2018-19, दिनांक 31 मई, 2018 के द्वारा जनपद टिहरी के स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो के लिए जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के ग्राम अलमस, क्षेत्रफल 0.260 हैक्टेयर पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्टर (आर0बी0एम0) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी तथा ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 015_Tehri_Almas_Dhanolti_0.260ha/ई0निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/ 2017-18, दिनांक 02 जून, 2018 वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई-निविदा दिनांक 25.06.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 5720 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 2860 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 02.07.2018 को खोली गयी।

3- उक्त लॉट हेतु दिनांक 25.06.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई-निविदा में 04 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 30.06.2018 को घोषित किया गया। प्राप्त ई-निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है :-

तालिका- 1

क्र0 सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1	श्री राजेश प्रसाद	44293 M180612172648943	5,720 टन
2	श्री देवी सिंह चौहान	44305 M180614135504937	5,720 टन
3	श्री जगमोहन सिंह चौहान	44313 M180614135847403	5,720 टन
4	श्री दयाल सिंह	44329 M180613160224600	5,720 टन

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के ग्राम अलमस, क्षेत्रफल 0.260 हैक्टेयर हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार 5,720 टन प्राप्त हुई।

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के ग्राम अलमस, क्षेत्रफल 0.260 हैक्टेयर हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 5,720 x 35.00 = **रु0 2,00,200.00** (रु0 दो लाख दो सौ मात्र मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 294/ई0निवि0सह0ई0नीला0/परिणाम/टि0ग0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 05 जुलाई, 2018 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्टी के ग्राम अलमस, क्षेत्रफल 0.260 हैक्टेयर हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) **रु0 2,00,200.00** (रु0 दो लाख दो सौ मात्र मात्र) निर्धारित की गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 015_Tehri_Almas_Dhanolti_0.260ha/ई0निवि0 सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 06 जुलाई, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 16.07.2018 सायं 5:00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये हैं।

6- उपरोक्तानुसार तालिका में वर्णित सभी 04 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 329/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 जुलाई, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई-नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2018 को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके ऑन लाईन परिणाम eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :-

क्र० सं०	बिडर मास्कड आई0डी0	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू०
1.	20181411113618	24 जुलाई, 2018 प्रातः 10:19 बजे	231231.00
2.	20181411113621	24 जुलाई, 2018 अपराह्न 03:16 बजे	1535534.00
3.	20181411113586	24 जुलाई, 2018 अपराह्न 03:20 बजे	1635634.00
4.	20181411113623	24 जुलाई, 2018 प्रातः 10:17 बजे	228228.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 04 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू० 16,35,634.00 (रू० सोलह लाख पैंतीस हजार छः सौ चौतीस मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7- ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की मास्कड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 387/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 27 जुलाई, 2018 के द्वारा की गई :-

क्र० सं०	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर मास्कड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं०)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू०	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181411113586/ Rajesh Prasad (M180612172648943)	24 जुलाई, 2018 अपराह्न 03:20 बजे	1635634.00	H1
2	20181411113621/ Devi Singh Chauhan (M180614135504937)	24 जुलाई, 2018 अपराह्न 03:16 बजे	1535534.00	H2
3	20181411113618/ Dayal Singh (M180613160224600)	24 जुलाई, 2018 प्रातः 10:19 बजे	231231.00	H3
4	20181411113623/ Jagmohan singh Chauhan (M180614135847403)	24 जुलाई, 2018 प्रातः 10:17 बजे	228228.00	H4

8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 387/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 27 जुलाई, 2018 के द्वारा ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4 घोषित किया गया।

09- कार्यालय ज्ञाप संख्या 387/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0 /2017-18, दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा श्री राजेश प्रसाद (M180612172648943) को जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील धनोल्डी के ग्राम अलमस, क्षेत्रफल 0.260 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र से कुल 5720 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 16,35,634.00 (रू0 सोलह लाख पैंतीस हजार छः सौ चौतीस मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित करते हुए को सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात् रू0 1,63,563.00 (रू0 एक लाख तिरेसठ हजार पांच सौ तिरेसठ मात्र) एवं नियम- 28 ख (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि रू0 1,63,563.00 (रू0 एक लाख तिरेसठ हजार पांच सौ तिरेसठ मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराये, ताकि तदनुसार उनके पक्ष में आशय पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्पन्न की जा सके। H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री राजेश प्रसाद द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 387/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0 /2017-18, दिनांक 27 जुलाई, 2018 का अनुपालन न करते हुए उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा नहीं कराई गई तथा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र हेतु बोली गई उच्चतम बोली का आंकलन करने के उपरान्त उक्त लॉट में कार्य करने हेतु असमर्थता जताई गई है। उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H1 ई-नीलामी बोलीदाता श्री राजेश प्रसाद (M180612172648943) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम- 28ख(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाना तथा उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक -एफ0डी0आर0 सं0-37768032221, दिनांक 22.06.2018 रू0 50,050/- (रूपये पचास हजार पचास मात्र मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28 क (2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 श्री देवी सिंह चौहान (M180614135504937) को "सफल बोलीदाता धनराशि" एवं "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" जमा किये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

10- अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या - 1, 2, 3, 4 में निम्न प्राविधान है :-

1. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिशत (10%) "सफल बोलीदाता धनराशि" तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय payment gate way के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
2. H1 व H2 के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए कोटिक्रम में तृतीय ई-नीलामी बोलीदाता H3 को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसके भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई-नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए ई-नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त अगले स्तर हेतु पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
3. सफल ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्यदिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन जमा

करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् ऐसा सफल ई-नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।

4. प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता H1 द्वारा प्रस्तर (2) व (4) में से किसी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप असफल होने की दशा में बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित H2 व कोटिक्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग द्वितीय चरण के बिन्दु संख्या-5 के प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 387/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0 /2017-18, दिनांक 27 जुलाई, 2018 द्वारा श्री देवी सिंह चौहान को अधिकतम ई-नीलामी बोली रू0 15,35,534.00 (रू0 पन्द्रह लाख पैंतीस हजार पांच सौ चौतीस मात्र) के सापेक्ष H2 ई-नीलामी बोलीदाता घोषित है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 387/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0 /2017-18, दिनांक 27 जुलाई, 2018 के क्रम में श्री राजेश प्रसाद H1 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई-नीलामी बोली रू0 16,35,634.00 (रू0 सोलह लाख पैंतीस हजार छः सौ चौतीस मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 1,63,563.00 (रू0 एक लाख तिरैसठ हजार पांच सौ तिरैसठ मात्र) नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 1,63,563.00 (रू0 एक लाख तिरैसठ हजार पांच सौ तिरैसठ मात्र) निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने तथा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र हेतु बोली गई उच्चतम बोली का आंकलन करने के उपरान्त उक्त लॉट में कार्य करने हेतु असमर्थता जताई गई है, के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री राजेश प्रसाद H1 निविदादाता को असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार श्री राजेश प्रसाद H1 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक -एफ0डी0आर0 सं0-37768032221, दिनांक 22.06.2018 रू0 50,050/- (रूपये पचास हजार पचास मात्र मात्र) को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 श्री देवी सिंह चौहान द्वारा बोली गयी उनकी उच्चतम बोली मूल्य रू0 15,35,534.00 (रू0 पन्द्रह लाख पैंतीस हजार पांच सौ चौतीस मात्र) का दस प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 1,53,553.00 (रू0 एक लाख तिरैपन हजार पांच सौ तिरैपन मात्र) तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत तथा दस प्रतिशत धनराशि रू0 1,53,553.00 (रू0 एक लाख तिरैपन हजार पांच सौ तिरैपन मात्र) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक" के सापेक्ष सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान किया जाता है।

आदेश

कार्यालय ज्ञाप संख्या 387/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0 /2017-18, दिनांक 27 जुलाई, 2018 के क्रम में श्री राजेश प्रसाद H1 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई-नीलामी बोली रू0 16,35,634.00 (रू0 सोलह लाख पैंतीस हजार छः सौ चौतीस मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 1,63,563.00 (रू0 एक लाख तिरैसठ हजार पांच सौ तिरैसठ मात्र) नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 1,63,563.00 (रू0 एक लाख तिरैसठ हजार पांच सौ तिरैसठ मात्र) निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने तथा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उक्त क्षेत्र हेतु बोली गई उच्चतम बोली का आंकलन करने के उपरान्त उक्त लॉट में कार्य करने हेतु असमर्थता जताई गई है, के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्री राजेश प्रसाद H1 निविदादाता के रूप में असफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार श्री राजेश प्रसाद H1 ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी भारतीय स्टेट बैंक -एफ0डी0आर0 सं0-37768032221, दिनांक 22.06.2018 रू0 50,050/- (रूपये पचास हजार पचास मात्र मात्र) को निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया जाता है।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) में किये गये प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 श्री देवी सिंह चौहान (M180614135504937) अधिकतम बोली रू0 15,35,534.00 (रू0 पन्द्रह लाख पैंतीस हजार पांच सौ चौतीस मात्र) को सफल ई-नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाता है तथा तदनुसार श्री देवी सिंह चौहान को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमावली के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या

- 1, 2, 3 व 4 के अधीन निम्नवत वांछित धनराशि एवं आवश्यक अभिलेख निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत जमा कराना सुनिश्चित करेंगे:-

1. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (1) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 15,35,534.00 (रू0 पन्द्रह लाख पैंतीस हजार पांच सौ चौतीस मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 1,53,553.00 (रू0 एक लाख तिरेपन हजार पांच सौ तिरेपन मात्र) आदेश प्राप्ति के 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें तदोपरान्त ही आपको सफल बोलीदाता माना जा सकेगा।
2. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 15,35,534.00 (रू0 पन्द्रह लाख पैंतीस हजार पांच सौ चौतीस मात्र) का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 1,53,553.00 (रू0 एक लाख तिरेपन हजार पांच सौ तिरेपन मात्र) (सात) कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त ही आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जा सकेगा तथा तदोपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
3. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) के प्राविधानुसार ई-नीलामी बोलीदाता H2 अर्थात् आपके द्वारा भी यदि वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 15,35,534.00 (रू0 पन्द्रह लाख पैंतीस हजार पांच सौ चौतीस मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 1,53,553.00 (रू0 एक लाख तिरेपन हजार पांच सौ तिरेपन मात्र), 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत तथा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि रू0 15,35,534.00 (रू0 पन्द्रह लाख पैंतीस हजार पांच सौ चौतीस मात्र) का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 1,53,553.00 (रू0 एक लाख तिरेपन हजार पांच सौ तिरेपन मात्र) (सात) कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853-अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा नहीं किया जाता है तो आपको भी असफल घोषित करते हुए आप द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक/जमा अर्नेस्ट मनी पंजाब नेशनल बैंक डी0डी0 संख्या-820794, दिनांक 22.06.2018 रू0 50,050/- (रूपये पचास हजार पचास मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त कर दिया जायेगा तथा उक्त प्रक्रिया अन्तिम सफल बोलीदाता अर्थात् H4 कोटिक्रम के ई-नीलामी बोलीदाता तक व्यवहारित की जायेगी।

अतः श्री देवी सिंह चौहान H2 ई-नीलामी बोलीदाता से अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक

संख्या: 410 / ई-निवि0सह0ई-नीला0 / भू0खनि0ई0 / टिहरी / 2018-19 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3. खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जनपद टिहरी गढ़वाल।
4. श्री राजेश प्रसाद पुत्र श्री रामचन्द्र, निवासी- भुयासारी (कैन्थ), जौनपुर धनोल्टी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
5. श्री देवी सिंह चौहान पुत्र श्री बलवीर सिंह, निवासी- ग्राम स्याल्सी, धनोल्टी, जनपद टिहरी गढ़वाल।

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक